

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0 नं0
34 / 2023

तारीख फैसला
13.05.2023

उनवान

- 1-- चेताराम आत्मज चतुर्भुज
 - 2-- रामचरण आत्मज चतुर्भुज
 - 3-- सूरजमल आत्मज चतुर्भुज
 - 4-- सुमित्रा बाई पुत्री चतुर्भुज
- जाति कीर निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

- 1-- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद में खाता संख्या नया 94, पुराना 92 पर खसरा नम्बर 460 की 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 482 की 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 484 की 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 485 की 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 486 की 0.30 हेक्टर, कूल पांच किता की 1.01 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादीगण के पिता व अन्य सहखातेदारान के शामिली खाते में दर्ज चली आ रही है।

यह कि वादीगण के पिता का नाम चतुर्भुज आत्मज रामनाथ है जिनका देहावसान दिनांक 05.02.2006 को हो चुका है। वादीगण के पिता का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिफाई में सहवन से चतुर्भुज के स्थान पर भज्जा अंकित हो गया है, जबकि वादीगण के पिता के परिवार कार्ड में, उनके आधार कार्ड व सरकारी दस्तावेजों में चतुर्भुज ही नाम अंकित है।


यह कि वादीगण के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम चतुर्भुज दर्ज है। चतुर्भुज व भज्जा एक ही व्यक्ति का नाम है। वादीगण ही चतुर्भुज उर्फ भज्जा जी के एक मात्र वारिसान हैं। ग्राम बांक्या में ही चतुर्भुज आत्मज रामनाथ जी के नाम से कृषि भूमि दर्ज थी जिरामें वादीगण के नाम इंतकाल तरदीक हो गया किन्तु


प्रमोद चौधरी

राजस्थान लोक सेवा समिति
जिला कोटा (राज)


प्रमोद चौधरी

तालुका शिक्षक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज)


प्रमोद चौधरी

